मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XV | **अंक** 1 | **जुलाई** 2019

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
1. उत्कर्ष 2022	1
2. उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो	2
3. वित्त मंत्री ने आरबीआई सीबीओडी को संबोधित किया	3
4. गवर्नर की पीएसयू बैंक प्रमुखों से मुलाक़ात	3
5. बैंकिंग विनियमन	3
6. विदेशी मुद्रा प्रबंध	4
7. वित्तीय बाजार विनियमन	4
8. गैर-बैंकिंग विनियमन	4
9. सर्वेक्षण	5
10. अनुसंधान	5

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका माह जुलाई में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in से एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. उत्कर्ष 2022 – भारतीय रिज़र्व बैंक की मध्यम अवधि कार्यनीति

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने 23 जुलाई 2019 को रिज़र्व बैंक के जनादेशों के निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और नागरिकों और अन्य संस्थानों के विश्वास को मजबूत करने के लिए, विकसित हो रहे व्यापक आर्थिक वातावरण के अनुरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक की मध्यम अवधि कार्यनीतिगत रूपरेखा 'उत्कर्ष 2022' का शुभारंभ किया।

अप्रैल 2015 में एक औपचारिक रणनीतिक प्रबंधन ढांचा शुरू किया गया था, ताकि रिज़र्व बैंक के मूल उद्देश्य, मूल्य और लक्ष्य विवरण (विज़न स्टेटमेंट) को पुन: स्पष्ट किया जा सके जिससे समकालीन संदर्भों में अपने रणनीतिक उद्देश्यों को चित्रित करते हुए आंतरिक ढांचा और पृष्ठभूमि के अनुसार अपनी नीतियों को तैयार किया जा सके। । ये मुख्य उद्देश्य (देश के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हैं) और मूल्य (सार्वजनिक हित, अखंडता और स्वतंत्रता, जवाबदेही और नवीनता, विविधता और विशिष्टता और आत्मनिरीक्षण और उत्कृष्टता की खोज) अभी भी प्रासंगिक और वैध बने हुए हैं; हालाँकि, एक ज़रूरत महसूस की गई है कि मध्यम अवधि के गतिशील लक्ष्य विवरण में उभरती चुनौतियों और आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी वातावरण की गतिशीलता के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को दर्शाया जाए, जिसमें हम काम करते हैं।

कार्यनीति रूपरेखा में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक का मिशन, मूल उद्देश्य, मूल्य और लक्ष्य विवरण (विज़न स्टेटमेंट) शामिल हैं, जो राष्ट्र के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

मध्यम अवधि के लक्ष्य विवरण (विज़न स्टेटमेंट) में निम्नलिखित को निर्धारित किया गया है:

- सांविधिक एवं अन्य कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता;
- नागरिकों एवं अन्य संस्थाओं का रिज़र्व बैंक में सुदृढ़ विश्वास;
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता एवं महत्व;
- पारदर्शी, जवाबदेह एवं आचारनीति संचालित आंतरिक अभिशासन;
- सर्वोत्कृष्ट व पर्यावरण अनुकूल डिजिटल एवं भौतिक अवसंरचना; तथा
- नवोन्मेषी, गतिशील एवं कुशल मानव संसाधन

ये लक्ष्य विवरण (विज़न स्टेटमेंट) पारस्परिक रूप से मजबूत हैं और विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से रिज़र्व बैंक का मध्यम अवधि (2019-22) के दौरान मार्गदर्शन करेंगे। उभरते अवसरों का लाभ उठाने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ये कार्यनीति आवश्यक रूप से अच्छी तरह से सोची-समझी कार्रवाई है। वांछित निष्पादन का एक या अधिक मूर्त और समयबद्ध मील के पत्थरों के रूप में कार्यनीतिक लक्ष्यों की उपलब्धि के रूप में महसूस किया जाना प्रस्तावित है।

'उत्कर्ष 2022' रिज़र्व बैंक के प्रबंधन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति के माध्यम से इसके कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी की जाएगी ।

उत्कर्ष 2022 संबंधी अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो

24 जुलाई 2019 से प्रभावी रूप में उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार होगा:

नाम	विभाग
श्री एन. एस.विश्वनाथन	1. समन्वयन 2. बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) 3. संचार विभाग (डीओसी) 4. सहकारी बैंकिंग विनियमन विभाग (डीसीबीआर) 5. गैर–बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) 6. प्रवर्तन विभाग (ईडी) 7. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) 8. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, बाजार आसूचना सहित (एफएमआरडी/एमआई) 9. अंतरराष्ट्रीय विभाग 10. निरीक्षण विभाग (आइडी) 11. जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) 12. सचिव विभाग
श्री बी.पी. कानूनगो	1. मुद्रा प्रबंध विभाग (डीसीएम) 2. बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीइआइओ) 3. आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) 4. सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) 5. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआइटी) 6. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) 7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (आंकड़े और सूचना प्रबंध इकाई सहित) (डीएसआईएम/डीआईएमयू) 8. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) 9. विदेशी मुद्रा विभाग (एफइडी) 10. आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आइडीएमडी) 11. विधि विभाग (एलडी) 12. मौद्रिक नीति विभाग फॉरकास्टिंग और मॉडलिग यूनिट सहित (एमपीडी/एमयू)
श्री एम.के. जैन	1. केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) 2. कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) 3. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) 4. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 5. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 6. गैर–बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 7. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआइडीडी) 8. वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) 9. मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआर परिचालन यूनिट सहित)(एचआरएमडी/ एचआर–ओयू) 10. परिसर विभाग (पीडी) 11. राजभाषा विभाग (आरडी) 12. सूचना का अधिकार (आरआईए) प्रभाग।

श्री एन.एस. विश्वनाथन को रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया

भारत सरकार ने श्री एन.एस. विश्वनाथन को 3 जुलाई 2019 को समाप्त होने वाली उनकी वर्तमान नियुक्ति की तीन वर्ष की अधिसूचित अवधि से आगे एक और वर्ष अर्थात् 3 जुलाई 2020 अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो तक, के लिए उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के रूप में पुनः नियुक्त किया है।

श्री अतनु चक्रवर्ती, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग को रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में नामित किया गया

केंद्र सरकार ने श्री अतनु चक्रवर्ती, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल में श्री सुभाष चंद्र गर्ग के स्थान पर निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री अतनु चक्रवर्ती को 29 जुलाई 2019 से नामित किया गया है और यह नामांकन अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

III वित्त मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित किया

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 577 वीं बैठक 8 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों को संबोधित किया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में केंद्रीय बजट 2019 के पीछे की सोच को और सरकार द्वारा ध्यान केन्द्रित किए गए क्षेत्रों को रेखांकित किया। वित्त मंत्री ने रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच समन्वयन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। बजट पर वित्त मंत्री की प्रशंसा करते हुए, बोर्ड के सदस्यों ने सरकार के विचारार्थ विभिन्न प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए । केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ श्री अजय भूषण पांडे, राजस्व सचिव, श्री अतनु चक्रवर्ती, सचिव (निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन) और डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे। वित्त मंत्री के संबोधन के पूर्व, बोर्ड ने अपनी नियमित कार्यवाहियों के भाग के रूप में वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक के संचालन के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की। अन्य मामलों के अलावा, बोर्ड ने रिज़र्व बैंक के 3-वर्ष के मध्यम अवधि के रणनीति दस्तावेज को अंतिम रूप दिया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मिशन और विजन विवरण शामिल थे। बोर्ड ने जुलाई 2019-जून 2020 की अवधि के लिए बैंक के बजट को भी मंजूरी दे दी। बोर्ड द्वारा चर्चा किए गए अन्य मामलों में मुद्रा प्रबंधन और भुगतान प्रणाली से संबंधित मुद्दे शामिल थे। श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने केंद्रीय बोर्ड की 577 वीं बैठक की अध्यक्षता की। उप गवर्नर श्री एन. एस विश्वनाथन, श्री बी.पी. कानूनगो एवं श्री महेश कुमार जैन और निवर्तमान उप गवर्नर डॉ. विरल वी. आचार्य, केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक: श्री नटराजन चंद्रशेखरन, श्री भरत दोषी, श्री सुधीर मांकड़, श्री मनीष सभरवाल, श्री दिलीप एस. शांघवी, डॉ. अशोक गुलाटी, श्री सतीश मराठे, श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, सुश्री रेवती अय्यर और प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने बैठक में भाग लिया। केंद्रीय बोर्ड में भारत सरकार के निदेशक, श्री सुभाष चंद्र गर्ग, निवर्तमान वित्त सचिव और सचिव (आर्थिक कार्य) और श्री राजीव कुमार, सचिव (वित्तीय सेवाएं) भी बैठक में शामिल हुए। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से मुलाकात की

गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मुख्य कार्यपालक के साथ 19 जुलाई 2019 को एक बैठक की। अपने प्रारंभिक उद्बोधन में, गवर्नर ने बैंकिंग क्षेत्र में सुस्पष्ट सुधारों की बात स्वीकार करते हुए यह भी अधोरेखित किया कि कई चुनौतियों, विशेष रूप से दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान और जरूरतमंद क्षेत्रों को ऋण प्रवाह संबंधी चुनौतियों का समाधान अभी भी बाकी है। बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों जैसे कि मौद्रिक नीति दरों का वांछित स्तर से कम प्रसारण;एक धीमी अर्थव्यवस्था की वापसी पर ऋण और जमा वृद्धि; विवेकपूर्ण उधार, मजबूत जोखिम मूल्यांकन और निगरानी मानकों का पालन करते हुए जरूरतमंद क्षेत्रों में ऋण प्रवाह; वसूली प्रयासों में सुधार; दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान को प्रोत्साहन;धोखाधड़ी जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना;एनबीएफसी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए हाल की पहलें और विलंब संबंधी चिंताओं को कम करने में बैंक क्या भूमिका निभा सकते हैं; डिजिटल भुगतानों में गहनता लाना आदि पर चर्चा की गई। गवर्नर ने डिजिटल भुगतानों में गहनता लाने संबंधी समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: श्री नंदन नीलकणी) और रिज़र्व बैंक के भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ 2021 की सिफारिशों के अनुरूप डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और उसमें गहनता लाने के महत्व को भी रेखांकित किया। इस संदर्भ में, गवर्नर के सुझाव के बाद, इस बात पर सहमति हुई कि बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य में एक जिले की पहचान की जाएगी ताकि उसे एसएलबीसी, राज्य सरकारों, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों आदि सहित सभी हितधारकों के समन्वय और सहयोग से एक वर्ष की समय सीमा के भीतर डिजिटल रूप से 100% सक्षम बनाया जा सके। संभव सीमा तक, ऐसे जिलों को भारत सरकार के 'आकांक्षापूर्ण जिलों का रूपांतरण' कार्यक्रम के साथ अभिमुख किया जा सकता है। आईबीए द्वारा भी इस संबंध में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाए जाने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. बैंकिंग विनियमन

V) क) बैंकों को एनबीएफसी / एचएफसी से आस्तियों की खरीद के लिए और / या आगे उधार देने के लिए अतिरिक्त तरलता सुविधा

सरकार ने 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषणा की है कि वित्तीय रूप से स्वस्थ एनबीएफसी की उच्च-रेटेड समूहित खरीद के लिए, सरकार 10% तक के पहले नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एकबारगी छह महीने की आंशिक

क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी। बैंकों को इस घोषणा को लागू करने और एनबीएफसी के मुद्दे को प्रभावी ढंग से निपटाने में सक्षम बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जुलाई 2019 को घोषणा की कि अपनी अतिरिक्त जी-सेकंड होल्डिंग्स पर बैंकों को आवश्यक तरलता बैकस्टॉप प्रदान किया जाएगा । उपरोक्त के अलावा, रिजर्व बैंक ने अगस्त और दिसंबर 2019 में एफएएलएलसीआर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है और बैंकों को तत्काल प्रभाव से एनडीआरएल के 1.0 प्रतिशत तक बैंक के एफएएलएलसीआर में वृद्धि की गणना करने की अनुमति दी है ताकि वर्तमान में एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) की बहियों में बकाया क्रेडिट की सीमा से अधिक वृद्धिशील क्रेडिट से वे रुपये 1,34,000 करोड़ की अतिरिक्त तरलता का लाभ उठाने में सक्षम हो जाएँ । अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V) ख) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को शामिल करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 03 जुलाई 2019 को सूचित किया हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को शामिल किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 22 जून 28 जून 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मई 2019 की अधिसूचना विवि. एनबीडी.(पीबीआईपीपीबी). सं.9980/16.13.215/2018-19 के द्वारा शामिल किया गया है। । अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

कॉर्पोरेट्स और एनबीएफ़सी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार रूपरेखा के अंतर्गत अंतिम उपयोग नियम शिथिल किए

हितधारकों की प्रतिपुष्टी के आधार पर और ईसीबी फ्रेमवर्क को और उदार बनाने की दृष्टि से, भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, सामान्य कॉर्पो रेट उद्देश्यों और रुपये ऋणों की चुकौती के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों संबंधी अंतिम-उपयोग नियम शिथिल किए जाएं। तदनुसार, पात्र उधारकर्ताओं को अब भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ विदेशी सहायक कंपनियों को छोड़कर, मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से निम्नलिखित ईसीबी जुटाने की अनुमति दी जाएगी:

i. कार्यशील पूंजीगत उद्देश्यों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए 10 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी। एनबीएफ़सी को उपरोक्त परिपक्वता के लिए आगे ऋण देने और अंतिम उपयोग के लिए उधार लेने की अनुमति होगी।

ii. पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू स्तर पर लिए गए रुपये ऋण की चुकौती के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी। रुपये ऋणों की चुकौती के लिए एनबीएफसी द्वारा आगे ऋण देने के लिए उधार लेने को भी अनुमति दी जाएगी। पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य प्रयोजनों हेतु घरेलू स्तर पर लिए गए रुपये ऋण की चुकौती और उसी के लिए एनबीएफसी द्वारा ऋण देने के लिए ईसीबी की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए।

iii. इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि पात्र कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू स्तर पर लिए गए रुपये ऋणों की चुकौती के लिए ईसीबी का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए और उधारदाताओं के साथ किसी भी एकबारगी निपटान व्यवस्था के तहत एसएमए -2 या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाए। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ विदेशी सहायक कंपनियों को छोड़कर, पात्र ईसीबी ऋणदाताओं को ऐसे ऋणों को समनुदेशन के माध्यम से बेचने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते, परिणामी बाह्य वाणिज्यिक उधार ईसीबी रूपरेखा की सभी लागतों, न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि और अन्य प्रासंगिक मानदंडों का अनुपालन करते हों। संपूर्ण परिपत्र के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. वित्तीय बाजार विनियमन

बाजार समय की व्यापक समीक्षा संबंधी आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 जुलाई 2019 को बाज़ार समय की व्यापक समीक्षा संबंधी आंतरिक कार्य समूह की मसौदा रिपोर्ट जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार सहभागियों और अन्य हिताधिकारियों से ड्राफ्ट रिपोर्ट पर टिप्पणियां 31 जुलाई 2019 तक आमंत्रित की हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीति संबंधी वक्तव्य में आंतरिक समूह की स्थापना की घोषणा की गई थी। एक्सचेंजों पर कारोबार की जाने वाली लिखतों, व्यापार की वर्तमान समयावधि में संशोधन के लाभ और लागत के साथ-साथ सहायक भुगतान और निपटान व्यवस्था सहित निहितार्थों की जांच करने, और व्यापार, समाशोधन एवं निपटान व्यवस्था हेतु समय के साथ-साथ बाजार कार्य से संबन्धित किसी पहलू के संबंध में सिफ़ारिश करने सहित रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न वित्तीय बाजारों की मौजूदा समयावधि का अध्ययन करने के लिए आंतरिक कार्य समूह की स्थापना की गई है । अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. गैर–बैंकिंग विनियमन

कोर निवेश कंपनियों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए कार्य समूह का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 जुलाई 2019 को कोर निवेश कंपनियों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया । तद्नुसार, श्री तपन राय, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और भूतपूर्व सचिव, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में कार्य दल का गठन किया गया है।अन्य सदस्यों में शामिल हैं श्रीमती लिली वडेरा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक,श्री अमरजीत सिंह, कार्यपालक निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, श्री टी. रबिशंकर, मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री एच. के. जेना, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री एन. एस. वेंकटेश, मुख्य कार्यपालक, एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया। कार्य समूह के गठन की घोषणा 6 जून, 2019 को वर्ष 2019–20 के लिए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति के साथ जारी किए गए विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई थी। कार्यदल के विचारार्थ विषयों और अन्य संबन्धित विवरणों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. सर्वेक्षण

IX) क) आवासीय परिसंपत्ति मूल्य निगरानी सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 जुलाई, 2019 को सार समय श्रृंखला डेटा के साथ–साथ आवासीय परिसंपत्ति मूल्य निगरानी सर्वेक्षण (आरएपीएमएस) के मार्च 2019 के दौर की प्रमुख विशेषताएँ जारी कीं। रिज़र्व बैंक, जुलाई 2010 से 13 शहरों, जैसे – मुंबई, चेन्नै, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकता, पुणे, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल और भुवनेश्वर – में चुनिंदा बैंकों/आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) द्वारा वितरित आवास ऋण पर त्रैमासिक आवासीय परिसंपत्ति मूल्य निगरानी सर्वेक्षण (आरएपीएमएस) आयोजित कर रहा है। चयनित अनुपातों – (i) मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात, आवास ऋणों पर ऋण जोखिम का माप; (ii) ईएमआई की तुलना में आय (ईटीआई) अनुपात ऋण पात्रता को दर्शाते हुए; (iii) आय की तुलना में आवास की कीमत (एचपीटीआई) का अनुपात – खरीदने की क्षमता को दर्शाते हुए और (iv) आय की तुलना में ऋण(एलटीआई) का अनुपात एक और क्षमता माप – पर समय श्रृंखला तैयार की गयी हैं। सर्वेक्षण की मुख्य बातें और समय श्रृंखला डाटा यहाँ पर क्लिक करके रिज़र्व बैंक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

X. अनुसंधान

X) क) अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एच पी आई) में वार्षिक वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2019 को 10 प्रमुख शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलूरु, चेन्नै, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्ची, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में आवास पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन आंकड़ों के आधार पर चौथी तिमाही: 2018–19 के लिए तिमाही आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधारः 2010–11=100) जारी किया।

सर्वेक्षण की मुख्य बातें:

तिमाही वृद्धि :

अखिल भारतीय एचपीआई में क्रमिक आधार पर 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई (तीसरी तिमाही:2018–19 की तुलना में चौथी तिमाही:2018–19)।

वार्षिक वृद्धि :

वर्ष–दर–वर्ष आधार पर अखिल भारतीय एचपीआई में वृद्धि धीमी रही और चौथी तिमाही: 2018–19 में 3.6 प्रतिशत पर रही, जो पिछली तिमाही में 5.1 प्रतिशत और एक साल पहले 6.7 प्रतिशत थी।

अखिल भारतीय स्तर और शहरवार एचपीआई पर समय–श्रृंखला आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics>RealSector>Price&Wages>Quarterly) पर उपलब्ध हैं।

X) ख) मिंट स्ट्रीट मेमो

अश्रेणीकृत एक्सपोजर के लिए विवेकशील विनियमन का प्रभाव

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम) श्रृंखला के तहत 'बृहद उधारकर्ताओं के लिए रेटिंग व्यवहार संबंधी अश्रेणीकृत एक्सपोजर के लिए विवेकशील विनियमन का प्रभाव' विषय से मिंट स्ट्रीट मेमो का बीसवां खंड जारी किया। पल्लवी चौहान, निदेशक और एस.के. रिताधि, प्रबंधक (अनुसंधान), बैंकिंग सर्वेक्षण विभाग ने पेपर प्रस्तुत किया जिसमें, बृहद उधारकर्ताओं के रेटिंग पर विवेकशील विनियमन के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। उधारकर्ताओं की साख और बैंकों में पूंजी स्तर दोनों के सटीक आकलन में अश्रेणीकृत एक्सपोज़र चुनौतियों का निर्माण कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने 2016 में विवेकपूर्ण विनियामक दिशानिर्देशों को संशोधित किया, ताकि एक विशिष्ट सीमा से ऊपर उधारकर्ताओं के बैंक एक्सपोजर के आकार को श्रेणीकृत और अश्रेणीकृत एक्सपोज़र के बीच जोखिम भार के मामले में विनियामक मध्यस्थता नियंत्रित की जा सके। इस अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिगमन अनिरंतरता डिज़ाइन में इस एक्सपोज़र सीमा का लाभ उठाते हुए श्रेणीकृत वर्ग से अश्रेणीकृत वर्ग की ओर स्विच करनेवाले उधारकर्ताओं के समूह को हतोत्साहित करके पॉलिसी ने अपेक्षित प्रभाव का निर्माण किया है ।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।